[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii)]

## Government of India Ministry of Corporate Affairs Notification

New Delhi, the 1st October, 2018

S.O. \_\_\_\_\_In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby appoints the 1<sup>st</sup> October, 2018 as the date on which the provisions of sub-sections (1) and (12) of section 132 of the said Act shall come into force.

[File No. 1/4/2016-CL-I]

(K.V.R. Murty) 01 10 18

Joint Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

## भारत सरकार

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 01 अक्तूबर, 2018

का.आ. ..... केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 01 अक्तूबर, 2018 को वह तारीख नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) और उपधारा (12) के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं. 1/4/2016-सीएल.।]

के.वी.आर. मूर्ति)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार